न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) दूदू, जिला जयपुर

न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत कैम्प अटल सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत मौजमाबाद

शिविर प्रभारी अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या: 40/2010 पुन: 350/2013

रजु दिनांक: 09/04/2010 पुन: 09/10/2013

निर्णय दिनांक : 01/07/2016

1. छीतर पुत्र श्री माधो उम्र 50 वर्ष, जाति माली, निवासी: धमाणा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
2. भंवर पुत्र रेडू उम्र 32 साल जाति माली, निवासी: धमाणा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

.........वादीगण

बनाम

1. गोपाल पुत्र सीताराम जाति माली निवासी: धमाणा, तहसील मौजमाबाद हाल: मोठूलाल माली निवासी: आकाश्या की ढाणी, तन फुलेरा, निवासी: जयपुर।
2. छीतर पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी: धमाणा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
3. पांचू पुत्र रामचन्द्र जाति जाट, निवासी: धमाणा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
4. रामसिंह पुत्र सीताराम जाति जाट, निवासी: धमाणा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
5. रामू पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी: धमाणा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
6. गोविन्द पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी: धमाणा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
7. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

Scanned by CamScanner

...बरजिस्ट्रार तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

...गोपाल पुत्र बोदूराम जाति जाट निवासी: धमाणा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

.........प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा

...उपस्थित:

श्री कन्हैयालाल माली एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता वादीगण
श्री ओमप्रकाश तंवर एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
श्रीमती मंजूलता शर्मा एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 9

निर्णय दिनांकः— 01/07/2016

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि उपरोक्त उनवानी वाद को न्यायालय द्वारा दिनांक 01.02.2011 को इस आशय का प्राथमिक डिक्री किया गया था कि " अतः दावा वादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाता है तथा विवादित आराजी खाता संख्या 69 की आराजी खसरा नंबर 453, 454, 801, 802, 803, 1027, 1028, 1032, 1033, 1034, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1238, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1438, 1439, 1444, 1445 कुल किता 27 कुल रकबा 12.4300 हैक्टेयर व खाता संख्या 70 के आराजी खसरा नंबर 594, 1217, 1226, 1227, 1228, 1236, 1237, 1239 कुल किता 8 कुल रकबा 1.9300 हैक्टेयर वाके ग्राम धमाणा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य दर्ज हिस्से अनुसार एवं मौके पर काबिज अनुसार तकासमा किया जाता है तथा तहसीलदार मौजमाबाद को नक्शे कुरैजात तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा जावे। "

दिनांक 28.02.2012 को श्रीमती मंजूलता शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी बाबत गोपाल पुत्र बोदू को वाद में पक्षकार बनाये जाने बाबत प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। नकल वकील वादी को दिलवाई गई। दिनांक 16.07.2012 को वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र का

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू

Scanned by CamScanner

ाब प्रस्तुत नहीं करना जाहिर किया एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में ानी सहमति जाहिर की। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कील वादी को संशोधित वाद प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। दिनांक 25.07.2012 को वकील वादी द्वारा संशोधित वाद प्रस्तुत किया गया। गोपाल पुत्र बोदू को वाद में प्रतिवादी संख्या 9 के रूप में पक्षकार कायम किया गया। पत्रावली न्यायालय जिला कलक्टर के आदेशानुसार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू के यहां से स्थानान्तरित होकर न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू के यहां प्रस्तुत हुई। पत्रावली दर्ज करवायी गयी। दिनांक 14.07.2015 को तहसीलदार मौजमबाद से नक्शे कुरैजात प्राप्त हुये, शामिल पत्रावली किये गये।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गयी तथा नक्शे कुरेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। नक्शे कुरेजात निर्णयानुसार प्राप्त हुये। वकील पक्षकारान द्वारा प्राप्त नक्शे कुरेजात के अनुसार वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

तहसीलदार मौजमाबाद से प्राप्त नक्शे कुरेजात को सही पाया जाकर प्राप्त नक्शे कुरेजात अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात स्थित ग्राम धमाणा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर का पक्षकारान के मध्य तकासमा किया जाकर खाता निम्नानुसार अलहदा-अलहदा किया जाता है :-

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	विशेष विवरण
1.	पांचू पुत्र रामचन्द हि. 1/5 रामसिंह पुत्र सीताराम हि. 1/5 रामू पुत्र रामचन्द्र हि. 1/5 गोविन्द पुत्र रामचन्द्र हि. 1/5 रामकंवरी ध.प. स्व. छीतर सुरेन्द्र सिंह दत्तक पुत्र छीतर हि. 1/5 जाति जाट सा. देह खातेदार	1415 1416 1417 1418 1419 1438 1439 1444 1032 1033 1034 1028 1027	0.84 0.60 0.56 0.17 0.23 0.51 0.85 0.89 0.09 0.15 0.22 0.21 0.26	ख.नं. 1238 रकबा 0.04 हैक्टेयर यथावत शामलाती रहेगा।
		13	5.58	

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

Scanned by CamScanner

	...र पुत्र माधो हि. 1/3 भंवर पुत्र ...डू हि. 1/3 गोपाल पुत्र सीताराम ... 1/3 जाति माली सा. देह।	801 802 803 1413 1414 1445	0.49 0.67 1.13 0.18 0.90 1.45	
		6	4.82	
	छीतर पुत्र माधो हि. 1/3 भंवर पुत्र रोडूं हि. 1/3 जाति माली सा. देह गोपाल पुत्र बोदू हि. 1/3 जाति जाट सा. देह।	1037 1038 1039 1027 1041	0.13 0.10 0.18 0.22 0.14	ख.नं. 1040 रकबा 0.05 है0 यथावत शामलाती रहेगा।
		5	0.77	
	छीतर पुत्र माधो भंवर पुत्र रोडू जाति माली सा. देह।	1217 1226 1227 1228 594	0.20 0.14 0.10 0.20 0.98	
		5	1.62	
5.	लालीदेवी ध.प. श्योजीराम जाति मीना सा. देह।	1228 1237 1236 1239	0.07 0.05 0.13 0.06	
		4	0.31	

तहसीलदार मौजमाबाद को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना स्वयं वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 01/07/2016 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत मौजमाबाद में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : [illegible]

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

अंतिम डिक्री

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू, जिला जयपुर [illegible] कुमार, पीठासीन, आर.ए.एस.

[illegible] 2 [illegible] बनाम 1. [illegible] पुत्र हरिराम जाति माली नि. [illegible] जाति - माली

दावा बावत बंटवारा व [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible] 4. रामसिंह पुत्र [illegible] जाति

मुकदमा न. 40/2010/[illegible] 359/2013 [illegible] जाति - जाट नि० [illegible]

मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री कन्हैयालाल माली [illegible] 1 ता० 9

मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री [illegible]

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि

अतः वादीगण का वाद अंतिम रूप से डिग्री किया जाकर [illegible] आराजीयात स्थित ग्राम [illegible], तह० मौजमाबाद, जिला जयपुर की [illegible] का बंटवारा किया जाकर खाता [illegible] अलहदा किया जाता है :- →

मुवलिग ....

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

इस मुकदमें के गय सूद वगैरह .... फीसदी .... आज की तारीख से .... का अदा करेगा अदायगी तक ....

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01 माह 07 सन् 2016 को दी गई।

दस्तखत ....

ओहदा ....

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			गुतफरिक		
गुतफरिक					
मीज़ान			मीज़ान		

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner